

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 494 ]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 18 सितम्बर 2014— भाद्र 27, शक 1936

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग  
सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2014

शुद्धिपत्र

क्रमांक 61/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2014. — छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013 को अधिसूचना क्रमांक 49/सीएसईआरसी/2013 दिनांक 21 मई 2013 द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचित किया गया है.

उक्त विनियम की कण्डिका 2 की द्वितीय पंक्ति में उल्लेखित “आठवें” को “अंतिम” पढ़ा जावे.

CORRIGENDUM

No. 61/CSERC/2013. — Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission has notified Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase Obligation and REC framework Implementation) (First Amendment) Regulations, 2013 vide notification No. 49/CSERC/2013 dated 21 May 2013.

In second line of Clause 2 of the above said regulation, “Eight” is to be read as “Last”.

आयोग के आदेश से,  
पी. एन. सिंह, सचिव.